न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 56/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00202

उनवान

1. बहादुर सिंह उम्र 56 वर्ष
2. विजेन्द्र सिंह उम्र 53 वर्ष
3. पूरन सिंह उम्र 51 वर्ष
4. सोरन सिंह उम्र 49 वर्ष

} पुत्रगण भूप सिंह जातियान ठाकुर निवासी ग्राम रामफल का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामवती पत्नी नत्थीलाल जाति नाई निवासी ग्राम मंशा का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।(मृतक)
   - 1/1. नगेन्द्र
   - 1/2. नीतू
   - 1/3. बीरो

   } पुत्रगण स्व0 रामवती पत्नी नत्थीलाल जाति नाई निवासी ग्राम मंशा का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   - 1/4. सरोज पुत्री स्व0 रामवती पत्नी निरंजन जाति नाई निवासी ग्राम सिंगौरई तहसील वाडी जिला धौलपुर।
   - 1/5. सुनीता पुत्री स्व0 रामवती पत्नी अतर सिंह जाति नाई निवासी ग्राम सिंगौरई तहसील वाडी जिला धौलपुर।
   - 1/6. राधा पुत्री स्व0 रामवती पत्नी राजू जाति नाई निवासी रिछोहा वाले रोड पर कोल्ड स्टोर के पास पोरसा तहसील पोरसा जिला मुरैना(म0प्र0)
2. धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बसेडी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बसेडी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसेडी तामील जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब तहसील बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर।
6. रामजीलाल पुत्र भोगीराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम मंशा का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.06.2016 प्रकरण संख्या 50/12 उनवान बहादुर बनाम रामवती, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–17.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 राजस्व अभिलेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी अविभाजित है एवं वर्तमान में संयुक्त रूप से काश्त करने में परेशानी हो रही हैं। वादी/अपीलाण्ट ने प्रतिवादी/रैस्पो0 से विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराये जाने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी को अच्छे मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का विभाजन कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 05.02.2016 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर प्रकरण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2016 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो को बिना सुने एवं बिना पूर्व सूचना दिये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मँगाते हुये, उसी रोज अन्तिम निर्णय पारित कर दिया। विभाजन प्रस्ताव भी हल्का पटवारी द्वारा बनाये गये हैं एवं उनके द्वारा पक्षकारो की कोई सहमति नहीं ली गयी है एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव पर उनकी सहमति के हस्ताक्षर ही कराये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्तावो पर दोनों पक्षो को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं देते हुये, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया। मुताबिक कानून दोनों पक्षो को अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी देनी चाहिये थी। परन्तु विभाजन प्रस्तावो में रैस्पो0 को अच्छी अच्छी एवं सडक से लगती हुयी आराजी दी गयी है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने एवं प्रकरण को पुनः विधिअनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तलव करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधी अनुरूप है। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्तावो में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव अच्छे मे से अच्छी भूमि एवं बुरी में से बुरी भूमि के तैयार किये गये हैं एवं उन पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद है। विवादित आराजी सम्पूर्ण की किस्म एक जैसी ही है। इस प्रकार अपीलाण्ट का यह कथन कि अच्छी अच्छी भूमि रैस्पो0 को दी गयी है, झूठा व निराधार है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में पारित हुआ है एवं मुताबिक कानून लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार ही भूमि दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर आर्डर शीट पर लिखा है, जिसमें किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

भी पक्षकारान के नाम शीर्षक आदि अंकित नहीं किये हैं अतः अपीलाधीन आदेश निर्णय की तारीफ में नही आता है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो की अनुपस्थिति में पारित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पक्षकारो को उक्त दिवस की सूचना देने वाला कोई नोटिस संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सूचित किये बिना, उनकी अनुपस्थिति में, राजस्व लोक अदालत की हडबडी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ताक पर रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ना तो पक्षकारान उपस्थित ही हैं एवं ना ही उन्होनें कोई सहमति ही दी है। हमने विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.06.2016 को तैयार किये गये हैं एवं अपीलाधीन आदेश भी उसी रोज दिनांक 15.06.2016 को ही पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनकी सहमति/असहमति/आपत्तियों को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना चाहिये था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने लायक नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विधि अनुरूप कुर्रे प्रस्ताव तैयार करे एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, एवं विभाजन प्रस्तावो पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर